POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 27.01.2025

थाना मेजा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा कल दिनांक 26.01.2025 को उरुवा रेलवे ओवरब्रिज के पास से मु0अ0सं0 32/25 धारा 108/115(2)/351(3)/127(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार केशरी पुत्र स्व0 जवाहर लाल केशरी निवासी उरूवा थाना मेजा प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि थाना मेजा पर दिनांक 19.01.2025 को अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र हंसराज विश्वकर्मा नि0 उरुवा थाना मेजा प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र अभय कुमार विश्वकर्मा को कमरे मे बन्द करके मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी दी गयी जिससे प्रार्थी के लड़के द्वारा शदमे में आकर रेल से कट कर आत्महत्या कर लिया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 32/2025 धारा 108/115(2)/351(3)/127(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। कल दिनांक 26.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर उरुवा रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

दौराने पूछताछ अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभय मेरी भतीजी से गलत बात बोल रहा था ये बात मुझे व नेता को मेरे छोटे भाई की घरवाली ने बतायी तब नेता अभय को गेस्टहाउस से बुलाकर अरुण के घर में लेकर आया वहीं उसको डरवाने के लिये मारपीट दिया हमलोगों को नहीं पता था कि इससे दुखी होकर वह आत्महत्या कर लेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सुनील कुमार केशरी पुत्र स्व0 जवाहर लाल केशरी निवासी उरूवा थाना मेजा प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग -

मु0अ0सं0 - 32/2025 धारा 108/115(2)/351(3)/127(2) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 राजेश उपाध्याय थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 बलवन्त यादव थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

3.हे0का0 जय प्रकाश मिश्रा थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना मेजा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मु0अ0सं0 501/24 धारा 69/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मनीष कुशवाहा उर्फ मनीष मौर्या पुत्र रोहित लाल कुशवाहा निवासी सिरसा दसमीबारी थाना मेजा प्रयागराज उम्र करीब 22 बर्ष को सिरसा भट्ठे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण -

थाना मेजा पर दिनांक 04.09.2024 को वादिया द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने , वादिनी का अश्लील वीडियो व फोटो ले लेना व धमकी देने व अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिया उपरोक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 501/24 धारा 69/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 26.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त मुखबिर की सूचना पर सिरसा भट्ठे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

मनीष कुशवाहा उर्फ मनीष मौर्या पुत्र रोहित लाल कुशवाहा निवासी सिरसा दसमीबारी थाना मेजा प्रयागराज उम्र करीब 22 बर्ष

सम्बन्धित अभियोग -

मु0अ0सं0 – 501/24 धारा 69/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना मेजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 गौरव यादव थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.उ0नि0 रामचरन थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा, ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व उनके कब्जे से 6 लाख 30 हजार रुपये बरामद

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.01.25 को बसहरा से मु0अ0सं-021/2025 धारा 318(4)/316(2)/319(2)/336(3)/338/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. शैलेश कुमार पुत्र तौलन प्रसाद निवासी बघौरा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र लगभग 28 वर्ष 2. अनीस कुमार पुत्र स्व0 जयराम निवासी बघौरा खबासान थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 29 वर्ष 3. विनोद कुमार उर्फ बबलू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी बघौरा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि थाना मेजा पर दिनांक 09.01.2025 को त्रिपुरारी तिवारी पुत्र आनन्दी तिवारी निवासी लक्ष्मेश्वर नगर अंबोली कठोर सूरत गुजरात द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र बाबत विपक्षीयों द्वारा छल से वादी से 8 लाख रुपये सोना देने के एवज मे लेना न ही सोना देना न ही रुपये वापस करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0023/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 27.01.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर बसहरा पहाडी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 लाख 30 हजार रुपये , मोबाइल फोन व आधार कार्ड व नकली सोना बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 319(2)/336(3)/338/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण –

दौराने पूछताछ अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग नकली सोने में जगह बनाकर थोडा सा असली सोना चिपका देते हैं तथा लोगो को भ्रमित करने के लिये उसी थोडे से सोने के टुकडे को काटकर तसल्ली के लिये दिखाने को दे देते हैं। जांच कराने पर वह सोना असली होने के कारण व्यक्ति हमारे नकली सोने को लालच में आकर खरीद लेता है। हम लोगो ने त्रिपुरारी तिवारी से भी इसी तरह सोना बेचा था उसी के पैसे का बसहरा पडाही के पास लेन देन किया था । पैसा लेने के लिये मै तथा विनोद गये थे। संतोष तथा अनीश पहाडी के आड में खडे थे। फर्जी आधार कार्ड दूसरे के नाम से हम सब लोग बनाकर अपनी पहचान छिपाने के लिये व्यक्तियों को विश्वास में लेने के लिये दे देते हैं ।

बरामदगी का विवरण-

6 लाख 30 हजार रुपये, मोबाइल फोन व आधार कार्ड व नकली सोना

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1.शैलेश कुमार पुत्र तौलन प्रसाद निवासी बघौरा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र लगभग 28 वर्ष
2.अनीस कुमार पुत्र स्व0 जयराम निवासी बघौरा खबासान थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 29 वर्ष
3.विनोद कुमार उर्फ बबलू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी बघौरा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग -

मु0अ0सं0- 0021/2025 धारा 318(4)/316(2)/319(2)/336(3)/338/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मेजा प्रयागराज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 बलवन्त यादव थाना मेजा
2.उ0नि0 सुभाष कुमार गौतम थाना मेजा
3.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना मेजा
4.हे0का0 रामजीत यादव थाना मेजा